

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 534 / 15-1 दिनांक, झांसी, जुलाई, 29 2017

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी ।

Phone/Fax No. - (0510) 2370037  
E-mail - dfojhansi@gmail.com  
Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषय:-

Diversion of 0.2886 ha of forest land with felling of 22 trees (0.1144 ha protected forest in Forest Division Orai with felling of 14 trees and 0.1742 ha of protected forest in Forest Division Jhansi with felling of 08 trees) for construction of 765 kv D/C LILO Satana Gwalior transmission line by Power Grid Corporation of India Limited-reg.

संदर्भ:-

आपका पत्रांक-53/33-1, दिनांक 05.07.2017 एवं मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड का०लि०, झांसी का पत्रांक WR-11/TLC/JHS/JLB/Orai/346, दिनांक 26.07.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-8B/UP/04/29/2017/FC/61, दि० 28.06.17 से लगाई गयी आपत्तियों क्रमांक 1 से 7 तक इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात पूर्ण प्रस्ताव संदर्भित पत्र के क्रम में पूर्ण कर निम्न प्रकार आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल में तीन प्रतियों में प्रेषित है:-

क्र० सं०	प्रश्न/आपत्ति	उत्तर/निराकरण के पश्चात अभिलेख भी संलग्न है
1	The details of area calculation uploaded as additional document in part I is not based on approved Row 765 kv S/C of 64 mts width. This issue need clarification and rectification.	उक्त ट्रान्समिशन लाइन 765 के०वी० डबल सर्किट है जिसका अनुमोदित ROW टावर स्पोरिंग डाटा के अनुसार 64 मी० के स्थान पर 67 मी० है की प्रति संलग्न है (संलग्न-161 से 162) ।
2	Uploaded Gazette notification of forest land have not been certified by the concerned DFO	संरक्षित वनभूमि का प्र०व०अ०, झांसी द्वारा प्रमाणित गजट नोटीफिकेशन संलग्न है
3	Joint inspection report of Forest Division Orai show existence of 63 trees whereas enumeration list in part II shows 14 trees only.	उरई वन प्रभाग से सम्बन्धित है
4	(a) The site inspection report of DFO Orai does not clarify issues regarding violation of FCA 1980. (b) The site inspection report of DFO Jhansi does not specify legal status of forest land proposed for diversion.	उरई वन प्रभाग से सम्बन्धित है
5	NOC from NHAI/SPWD (owners of the land) for proposed forest land for diversion for Forest Division, Jhansi and Orai have not been provided with the proposal.	साइट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सही कर ऑन लाइन अपलोड कर दी गयी है ।
6	The certificate regarding "Van Swaroop" forest land for Forest Division Orai has not been provided with the proposal.	प्रस्ताव में अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में पावर ग्रिड का प्रमाण पत्र संलग्न है (पृष्ठ सं० 163)
7	The proposal has been submitted without submission of abstract of enumeration of trees & poles existing on forest land and abstract of enumeration of trees & poles required for felling.	उरई वन प्रभाग से सम्बन्धित है
		प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि पर खड़े वृक्षों के पातन एवं पोल सम्बन्धी गणना का विवरण संलग्न है (पृष्ठ सं० 164)

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डॉ० मनोज कुमार शुक्ला)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-2767/11सी-FP/UP/Trans/22022/2016 लखनऊ, दिनांक 30.03.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, बुन्दलेखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, लि० हाउस नं० 13 बालीजी ग्रीन कालोनी फिल्टर मैन रोड बाहर दतिया गेट, झांसी (पिन कोड 284003) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डॉ० मनोज कुमार शुक्ला)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र० झांसी  
पत्रांक- 675 / 33-1 / दिनांक, झांसी, अगस्त 8 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
(वन संरक्षण अधिनियम)  
उ०प्र० लखनऊ।

विषय— Diversion of 0.2886 ha of forest land with felling of 22 trees (0.1144 ha protected forest in Forest Division Orai with felling of 14 trees and 0.1742 ha of protected forest in Forest Division Jhansi with felling of 08 trees) for construction of 765 kv D/C LILOSatna Gwalior transmission line Power Grid Corporation of India Limited-reg.

संदर्भ— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ पत्रांक 8 बी/यू०पी०/०४/२९/२०१७/एफ०सी०/०१ दिनांक 28.06.2017 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 2767/11-सी-एफ०सी०/यू०पी०/ट्रान्स/22022 दिनांक 30.06.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निर्धारित प्रारूप में निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी उरई द्वारा पत्रांक 384/33-1 दिनांक 01.08.2017 व प्रभागीय वनाधिकारी झांसी द्वारा पत्रांक 534/15-1 दिनांक 29.07.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपर्युक्त विषयक संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप में निराकरण सहित संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— 1 संशोधित प्रस्ताव 3 प्रतियों में  
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी व उरई के संदर्भित पत्रों की प्रति।

भवदीय

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या— /समदिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उरई एवं झांसी।
2. मुख्य प्रबन्धक पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, बाहर दतिया गेट झांसी को इस आशय से प्रेषित कि किसी भिन्न प्रबन्धक को इस कार्यालय से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त कर नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई ।

पत्रांक 384 / 33-1 / उरई अगस्त/ 01 2017

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,  
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी ।

विषय:-

Diversion of 0.2886 ha of forest land with felling of 22 trees (0.1144 ha protected forest in Forest Division Orai with felling of 14 trees and 0.1742 ha of protected forest in Forest Division Jhansi with felling of 08 trees) for construction of 765 kv D/C LILO Satana Gwalior transmission line by Power Grid Corporation of India Limited-reg.

संदर्भ:-

Ministry of Environment Forest and Climate Change, Regional Office (Central Region) File No:- 8B/UP/04/29/2017/FC/61/ dtd 28 June 2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-8B/UP/04/29/2017/FC/61, दि० 28.06.17 से लगाई गयी आपत्तियों क्रमांक 1 से 7 तक इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात पूर्ण प्रस्ताव संदर्भित पत्र के क्रम में पूर्ण कर निम्न प्रकार आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल में तीन प्रतियों में प्रेषित है:-

Observ. No.	Observation of GOI	Reply
1	The details of area calculation uploaded as additional document in part I is not based on approved Row 765 kv S/C of 64 mts width. This issue need clarification and rectification.	The said line is 765 KV D/C for which the ROW is 67 metre. Certificate from the agency and Tower Spotting data of the line in this regard has been attached. (Pg:-167-168)
2	Uploaded Gazette notification of forest land have not been certified by the concerned DFO	The gazette notification duly certified by DFO has been uploaded.
3	Joint inspection report of Forest Division Orai show existence of 63 trees whereas enumeration list in part II shows 14 trees only.	Only 14 nos of trees have been mentioned in the Joint inspection report of Forest division Pg: 130-131
4	(a) The site inspection report of DFO Orai does not clarify issues regarding violation of FCA 1980.	Site inspection report has been rectified and attached (pg-127)
	(b) The site inspection report of DFO Jhansi does not specify legal status of forest land proposed for diversion.	TO be clarified by Forest Division Jhansi
5	NOC from NHAI/SPWD (owners of the land) for proposed forest land for diversion for Forest Division, Jhansi and Orai have not been provided with the proposal.	No work will be carried out on NHAI/SPWD land so approval is not needed. A certificate by the Agency has been attached (Pg-165)
6	The certificate regarding "Van Swaroop" forest land for Forest Division Orai has not been provided with the proposal.	The certificate regarding "Van Swaroop" forest land for Forest Division Orai has been provided with the proposal. Pg-112
7	The proposal has been submitted without submission of abstract of enumeration of trees & poles existing on forest land and abstract of enumeration of trees & poles required for felling.	The abstract of enumeration of trees & poles existing on forest land and abstract of enumeration of trees & poles required for felling has been provided (Pg:-166)

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(बी० आर० अहिरवार)

प्रभागीय वनाधिकारी

जालौन सा० वा० वन विभाग उरई

पुष्पांकन संख्या

/अ/समदिनांक

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-2767/11सी-FP/UP/Trans/22022/2016 लखनऊ, दिनांक 30.03.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, बुन्दलेखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, लि० हाउस नं० 13 बालीजी ग्रीन कालौनी फिल्टर मेन रोड बाहर दतिया गेट, झांसी (पिन कोड 284003) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(बी० आर० अहिरवार)

प्रभागीय वनाधिकारी

जालौन सा० वा० वन विभाग उरई